

फर्द अहकाम

प उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (प्राचीण)।

210/2024

रामलाल बनाम अर्जुन

आज्ञा विरत रूप से	विशेष विवरण
<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता विष्णु सेनी हाजिर। अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 12 की ओर से अधिवक्ता विजय शर्मा हाजिर। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 व 13, 14 को सम्यक तागील के उपरान्त भी हाजिर नहीं, अतः अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 व 13, 14 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है।</p> <p>प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी को सुनने के उपरान्त हम पाते हैं कि विवादित भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सहखातेदार हैं, एवं विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है।</p> <p>अतः वाद बहुलता को रोकन एवं वाद की विषयवस्तु को बनाए रखने हेतु प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 2 में उल्लेखित भूमि पर उभय पक्षों को ताफैसलावाद मौके की यथारिथति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फंसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)</p>	